शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य

स्वशासी महिला महाविद्यालय

नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

(रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

स्थापना वर्ष -1954

(विभाजन पश्चात पुनः स्थापना - 1987)

विवरण पत्रिका

सत्र 2017-2018

फैक्स - 0761-4003296

दूरभाष - (0761) 2401300 (कार्यालय)

e-mail:hegmkbaaccjab@mp.gov.in

1- vkpkj& lafgrk ¼vkpj.k& lafgrk½ %

- प्रत्येक विद्यार्थी–प्राचार्य, प्राध्यापकों, कर्मचारियों और अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने अध्ययन में लगायेंगे साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करें।
- महाविद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगे। महाविद्यालय की सम्पत्ति अर्थात् भवन, साज–सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुचायेंगे।
- विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिये हिंसा, आंदोलन या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
- विद्यार्थी को यदि कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक–अभिभावक से संपर्क करें किन्तु बाहरी तत्वों, समाचार पत्रों को माध्यम न बनाये।
- विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- महाविद्यालय की सीमाओं में धूम्रपान, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।

egRoi.k ¼fo'k"k½ mifLFkfr %

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थित आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

jfxx %

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी.क्र. 24296–24299/2004, डब्ल्यू.पी. एस. आर. सी.नं. 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्र.14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्काषित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

n.M %

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरूद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है :–

1. कक्षाओं से निलम्बन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. वि.वि. / स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

2- vko';d lpuk,¡ %

- आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
- विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक सम्हालकर रखें।
- प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियां एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियां तथा प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएँ समय–समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएँगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
- आवेदन की समस्त पूर्तियाँ की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- परीक्षा परिणाम उद्घोषित न होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
- जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर / गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों / प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना स्नातक / स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध (सेमेस्टर पद्धति) में लगातार 15 दिवस या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- महाविद्यालय में, कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जप्त कर लिया जायेगा।

- कक्षाओं में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति पूर्ण न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में स्वाध्यायी के रूप में बैठना होगा।
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

महाविद्यालय का परिचय

उदारमना स्वर्गीय श्रीमती मानकुँवर बाई पुत्री स्व. दीवान बहादुर सेठ बल्लभदास जी की सम्पत्ति के न्यास से मानकुँवर बाई महिला महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 1954 में हुई। अनेक वर्षों तक शासकीय मोहनलाल हरगोविन्ददास गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से संचालित यह महाविद्यालय दिनांक 28.08.1987 को अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आया।

म. प्र. शासन की योजनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। शास. एम. बी. कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर, छात्र– संख्या की दृष्टि से प्रदेश का वृहत्तम शासकीय महिला महाविद्यालय है ।

महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में ;B.A./B.Com.द्ध की उपाधि प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत स्नात्तकोत्तर अध्ययन सुविधा भी उपलब्ध है जिसके अंतर्गत कला संकाय में 13 विषयों में M.A. की उपाधि तथा वाणिज्य संकाय में M.Com. की उपाधि प्रदान की जाती है।

स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर डिग्री पाठ्यक्रम के साथ ही स्ववित्तीय योजनांतर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययन सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुविधा Twinning Programme के अंतर्गत स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है। यह डिप्लोमा रेगुलर स्नात्तकोत्तर प्रोग्राम में अध्यनरत विद्यार्थी स्नात्तकोत्तर अध्ययन के साथ–साथ कर सकते हैं।

स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत स्नातक उपाधि हेतु निम्नलिखित रोजगार मूलक विषय विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य विषय समूह में एक विषय के रूप में चयनित किये जा सकते हैं। ये विषय है – 1. प्रयोजन मूलक हिन्दी 2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 3. विज्ञापन विक्रय संवर्धन एवं विक्रय प्रबंधन।

रिसर्च महाविद्यालय का एक सर्वोत्तम अभ्यास है। महाविद्यालय के 12 स्नात्तकोत्तर विभाग रिसर्च उपाधि के अध्ययन केंद्र भी हैं। संगीत, चित्रकला और उर्दू विभाग प्री.पी.एच.डी. कोर्स हेतु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत केंद्र है।

उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय कार्य योजना के परिचालन में महाविद्यालय की समस्त गतिविधि

ायों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ (IQAC) संचालित है। महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों की गुणवत्ता बनाए रखने का दायित्व इस प्रकोष्ठ का है। नैक (NAAC) बैंगलोर द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप एक क्वालिटी एडवाइजरी कमेटी (IQAC) का गठन किया गया है । जिसमें प्राचार्य एवं समन्वयक के अतिरिक्त वरिष्ठ प्राध्यापक एवं समाज के अन्य वर्गों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं ।

इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मनो परामर्श सुविधा उपलब्ध है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु 13 क्लबों का संचालन किया जाता है। महाविद्यालयीन सतत् गुणवत्ता विकास एवं छात्राओं के चहुँमुखी विकास दृष्टिगत प्रकोष्ठ द्वारा लैंग्वेज–लैब ;अंग्रेजी भाषा सीखने हेतुद्ध संचालित है।

3. lseLVj i)fr ¼ifjp;½ %

- ;● उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत वार्षिक परीक्षा प(ति सत्र 2017–18 से स्नातक स्तर पर लागू की जा रही है अतः बी.ए. प्रथम एवं बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं हेतु वार्षिक परीक्षा प(ति लागू होगी।
- ;● महाविद्यालयीन की पूर्व प्रवेशित छात्रायें सेमेस्टर प(ति से स्नातक परीक्षा यथावत उत्तीर्ण करेंगी।
- स्नाकोत्तर स्तर परीक्षायें सेमेस्टर प(ति से ही संचालित होगी।

पाठ्यक्रम योजना

(कला संकाय)

4- Lukrd Lrj Lo'kklh ;kstukUrxZr lseLVj i¼frA mPp f'k{kk foHkkx] e-i!- 'kklu }kjk Lohd`r ,dhd`r ikB;Øe

4.1 बी.ए. प्रथम वर्ष 2017–2018 की छात्राओं हेतु नवीन परिवर्तित अध्ययन के विषय निम्नानुसार है। छात्रायें निम्नलिखित विषय समूहों में एक–एक विषय का चयन करते हुये कुल तीन ऐच्छिक विषयों का चयन कर सकती है।

miyC/k LFkku 600

vk/kkj ikB;Øe ¼vfuok;Z½

1.	विषय समूह प्रथम	अंग्रेजी साहित्य / संस्कृत / उर्दू / हिन्दी साहित्य तथा प्रयोजन मूलक हिन्दी
2.	विषय समूह द्वितीय	इतिहास / अर्थशास्त्र / दर्शनशास्त्र / गृहविज्ञान

3.	विषय समूह तृतीय	समाजशास्त्र / मनोविज्ञान
4.	विषय समूह चतुर्थ	भूगोल, राजनीति शास्त्र / चित्रकला / संगीत ;गायन एवं वाद्यद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / विज्ञापन विक्रय संवर्(न एवं विक्रय प्रबंध

LofoÙkh; ;ktukUrxr lpkfyr dyk ldk; d fo"k;

कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन / विज्ञापन विक्रय संवर्(न एवं विक्रय प्रबंध ;सीट – 20द्ध प्रयोजन मूलक हिंदी, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में से किसी एक का चयन किया जा सकता है।

ukV % कम्प्यूटर एप्लीकेशन का शुल्क प्रतिवर्ष ₹ 5000 होगा। अन्य स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों का शुल्क ₹ 1000 प्रतिवर्ष होगा।

2. प्रथम सेमेस्टर बी.ए. में लिये गये विषय ही अगले वर्ष में भी लेने होंगे। विषय परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा।

LukrdkÙkj Lrj ikB;Øe dyk ldk; leLVj i)fr

निम्नलिखित विषयों में एम.ए. की उपाधि हेतु अध्यापन की व्यवस्था है। विभिन्न विषयों की प्रवेश संख्या विषयों के सामने अंकित है।

1.	अर्थशास्त्र	50	2.	इतिहास	50
3.	भूगोल	40	4.	अंग्रेजी	50
5.	राजनीतिशास्त्र	50	6.	हिंदी साहित्य	50
7.	ड्राइंग और पेटिंग	10	8.	संगीत	10
9.	दर्शनशास्त्र	20	10.	मनोविज्ञान	30
11.	समाज शास्त्र	50	12.	उर्दू	20

LofoÙkh; ;ktukUrxr lpkfyr ih-th- fMIykek ikB;Øe (Twinning Programme)

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत निम्नलिखित विषयों में पी.जी. डिप्लोमा हेतु प्रवेश लिये जा सकते हैं। पी.जी. डिप्लोमा हेतु संबंधित विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्नात्तकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस डिप्लोमा उपाधि की पात्रता रखते हैं। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है।

4.1 इंटीरियर डेकोरेशन एवं होम क्राफ्ट–गृह विज्ञान विभाग शुल्क ₹ 5000 वार्षिक

4.2 क्लीनिकल सायकोलॉजी – मनोविज्ञान विभाग शुल्क ₹ 5000 वार्षिक ;एम.ए. मनोविज्ञान होना आवश्यक है।द्ध

4.3 लोक प्रशासन – राजनीति शास्त्र विभाग शुल्क ₹ 2000 वार्षिक

ukV & ;1द्धप्रवेश शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।

;2द्ध <u>शुल्क के संबंध में महाविद्यालय की स्वशासी वित्त समिति द्वारा शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।</u>

7

वाणिज्य संकाय

5 स्नातक स्तर स्वशासी योजनान्तर्गत -
उपलब्ध स्थान-220 ़60 कम्प्यूटर एप्लीकेशन = कुल 280
5.1 बी.कॉम की छात्राओं हेतु अध्ययन के विषय निम्नानुसार हैं।
प् आधार पाठ्यक्रम

प्प् लेखांकन समूह
प्प्प् प्रबंध समूह
प्ट व्यावहारिक अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर एप्लीकेशन

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम - वाणिज्य के व्यवहारिक अर्थशास्त्र विषय समूह के स्थान पर कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय के विकल्प का चयन किया जा सकता है। कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय स्ववित्तीय आधार पर संचालित किया जाता है। जिसका शुल्क ृ 5000 प्रतिवर्ष है।
नोट -बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर मंे लिये गये वैकाल्पिक ग्रुप ही बी.कॉम. शेष सेमेस्टर में भी लेना अनिवार्य होगा।

6. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.कॉम.) सेमेस्टर पद्धति
एम.कॉम. पूर्वा(Z में प्रवेश हेतु छात्राओं की संख्या 70 निर्धारित की गई है।

7. प्रवेश संबंधी नियम:
(।) महाविद्यालय में प्रवेश, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सि(ान्त/नियम 2015-16 के अन्तर्गत स्नातक कला एवं वाणिज्य तथा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य कक्षाओं में प्रथम वर्ष
के प्रवेश ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर किये जायेंगे।
(ठ) प्रवेश के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र
महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश ले रहे विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें:-
1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की सत्यापित प्रति (प्रवेश मिलने पर मूल स्थानांतरण प्रमाण
पत्र टी.सी. जमा करना होगा)।
2. विगत परीक्षा की सत्यापित अंकसूची।
3. मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
4. चरित्र प्रमाणपत्र।
5. जाति-प्रमाणपत्र (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर)
के आवेदकों द्वारा।
6. विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र।
7. अध्ययन क्रम में अंतराल होने पर प्रमाणपत्र ;गैप सर्टिफिकेटद्ध।
8. रक्त समूह प्रमाणपत्र। 9. आधार कार्ड ।

10. आब्रजन/प्रवजन प्रमाण पत्र ;माइग्रेशन सर्टिफिकेटद्ध–;यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल या म.प्र. के विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो

11. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10 वीं कक्षा की सत्यापित अंकसूची।

12. यदि स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेना हो तो माता/पिता/पालक का, कार्यालय में पदस्थ का प्रमाणपत्र तथा स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति ;केवल शासकीय, अर्(शासकीय कर्मचारियों हेतु

¼C½ **'kks/k gsrq ços'k fu;e** ½ महाविद्यालय में पंजीकृत होने वाले शोध छात्रों हेतु सामान्य नियम निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं –

1. महाविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र ही शोध केन्द्र के रूप में मान्य होगें। इन शोध केन्द्रों में केवल महिला शोधार्थियों का पंजीयन होगा। अपवाद स्वरूप महाविद्यालय में पदस्थ पुरूष प्राध्यापकों को केन्द्र चुनने की पात्रता होगी। 2. अन्य परिस्थितियों में पुरूष शोधार्थी इस महाविद्यालय को शोध केन्द्र बना सकता है परंतु उसे पुस्तकालय सुविधा की पात्रता नहीं होगी। 3. शोध पंजीयन हेतु महाविद्यालय द्वारा अग्रेषित किए जाने वाले आवेदन निम्न नियमों के अधीन होंगे।

- शोध उपाधि हेतु आवेदन से लेकर उपाधि प्राप्त होने तक ₹ 1000 एकमुश्त ;केवल एक बारद्ध शोध ा–केन्द्र शुल्क देय होगा ।
- पुस्तकालय सुविधा हेतु ₹ 1500 वार्षिक पुस्तकालय शुल्क देय होगा। जिसके प्रतिदान में शोधार्थी को पुस्तकालय एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। इंटरनेट प्रभार ₹ 15 प्रति घंटा एवं फोटोकापी ₹. 1 प्रति पेज देय होगा।
- शोधार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें निर्गत की जा सकेगी। संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन वाचनालय में ही किया जा सकेगा।
- शोधार्थियों को शोध संबंधी प्रत्येक गतिविधि से अपने मार्गदर्शक एवं शोध समिति को अवगत करना होगा। यथा–आवेदन पत्र, शुल्क रसीद, संक्षेपिका की प्रति, शीर्षक अनुमोदित होने पर आर.डी.सी. पत्र की प्रतिलिपि, शोध प्रबंध की प्रति एवं शोध–केन्द्र का अदेय प्रमाण पत्र इत्यादि।
- पुस्तकालय सुविधा प्राप्त करने वाले शोधार्थी नियमित छात्र माने जायेंगे ।
- शोध उपाधि प्राप्त होने पर अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

4. अन्य परिस्थितियों में किसी अन्य महाविद्यालय का शोध निर्देशक होने पर भी महिला शोधार्थी को यह केन्द्र चुनने की पात्रता होगी।
5. समय–समय पर संशोधनाधीन नियम मान्य किए जायेंगे।

¼D½ **fons'kh Nk=** ½ विदेशी छात्रों को, उच्च शिक्षा विभाग एवं सबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा। विदेशी छात्रों के पास विद्यार्थी वीजा, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित आवास प्रमाण पत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये कि छात्रा एड्स बीमारी से ग्रसित नहीं है।

8 **ifjp; i= %** परिचय पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पासपोर्ट आकार का फोटो लगा परिचय पत्र बनवाना एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। परिचय पत्र के अभाव में पुस्तकालय से पुस्तकें, स्थानांतरण प्रमाणपत्र कॉशन मनी नहीं मिलेगी। महाविद्यालय के समारोहों/कार्यक्रमों में परिचय पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके गुमने/खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय एवं पुलिस थाना को देनी चाहिये। पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करने पर ही डुप्लीकेट परिचय पत्र बनाया जायेगा।

LFkkukarj.k çek.k i= ¼Vh-lh-½ çkIr djus dh fu;e % स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण–पत्र ;नो–ड्यूजद्ध लेना होगा। टी. सी. के लिये निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ शुल्क की रसीद व अदेय प्रमाणपत्र संलग्न कर कार्यालय में जमा करना होगा।

dk'ku euh ykSVkus dh fof/k % 1. विद्यार्थी द्वारा टी.सी. लेने के पश्चात् ही काशन मनी का भुगतान होगा। 2. काशन मनी प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ प्रवेश की मूल रसीद संलग्न कर 15 दिन पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। 3. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर कॉशन मनी प्राप्त की जा सकेगी। इसके पश्चात् शासन के आदेशानुसार उक्तराशि राजसात हो जायेगी।

9- **fu/kZu fo|kFkhZ lgk;rk dks"k %** इसके अन्तर्गत अनारक्षित वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के विद्यार्थियों, को सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिये विद्यार्थी को आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन करना होगा।

10- **jsYos dUls'ku dh lqfo/kk %** प्रवेश आवेदन फार्म में जिस स्थान का स्थायी पता अंकित किया है उसके अनुसार अवकाश में गृह नगर जाने के लिये रेल्वे कंसेशन हेतु प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा दस दिन पूर्व निर्धारित फार्म में आवेदन करने पर दिया जाता है।

11- **tuHkkxhnkjh lfefr** : महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का गठन म.प्र. शासन के निर्देशानुसार 1996 में किया गया। इस समिति में कुल 24 सदस्य होते हैं जो जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। इस समिति का कार्य महाविद्यालय में जनसहयोग उपलब्ध कराना, महाविद्यालय के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करना तथा महाविद्यालयीन नीतियों के निर्धारित एवं रख रखाव में सहयोग देने के साथ ही साथ जन सहयोग से राशि एकत्र कर महाविद्यालय के विकास कार्यों में सहयोग करना है।

12- **Nk=ofRr;k¡ %** महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा देय एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों को नियमानुसार देने की व्यवस्था है। जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है। पात्र विद्यार्थी, अपना आवेदन आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर, प्राचार्य के माध्यम से भेजें। प्रत्येक पात्र छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अनिवार्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में अपने नाम से बैंक एकाउंट खोलना शासन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य है।

13- **Lo'kklh dk;Zdkfj.kh %** इसकी स्थापना जुलाई 2001 में हुई। पहले यह शासी निकाय के नाम से जानी जाती थी। जुलाई 2001 में इसका नाम परिवर्तन कर स्वशासी कार्यकारिणी रखा गया। इसका गठन यू. जी. सी. के मापदण्डों के अनुसार किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, यू.सी.जी. प्रतिनिधि तथा म.प्र. शासन के प्रतिनिधि के रूप में व्यवसाय उद्योग शिक्षा, चिकित्सा तथा सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े हुए प्रबु(नागरिक सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य महाविद्यालयीन प्रशासन प्रवेश शुल्क तथा परीक्षा आदि से संबंधित मामलों के लिये नियमावली तैयार करना तथा उन्हें क्रियान्वित कराना है।

egkfo|ky; esa LFkkfir ikfjrksf"kd ,oa Lef̀r Lo.kZ ind

महाविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का उत्ड्डष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित पदकों से अंलड्डत किया जावेगा। यह अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष स्नेह सम्मेलन के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित किया जाता है।

Ø-	ind fooj.k	ik=rk
1.	अकादमिक स्वर्ण पदक	एम. ए./एम. कॉम. उत्तरा(समस्त विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
2.	मानकुँवर बाई, मालपाणी न्यास	स्नातकोत्तर कला संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
3.	मानकुँवर बाई, मालपाणी न्यास	स्नातकोत्तर वाणिज्य संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को
4.	मानकुँवर बाई, मालपाणी न्यास	स्नातक कला संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
5.	मानकुँवर बाई, मालपाणी न्यास	स्नातक वाणिज्य संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।

Lef̀r ind

1.	पं. कुंजी लाल दुबे स्मृति स्वर्ण पदक	स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
2.	श्रीमती ललिता दुबे स्मृति स्वर्ण पदक	स्नातकोत्तर हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को।
3.	श्रीमती शकुन्तला, जमुना प्रसाद दुबे स्मृति स्वर्ण पदक	स्नातकोत्तर भूगोल में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
4.	सुश्री संध्या भट्टाचार्य स्मृति स्वर्ण पदक	एम. ए. पूर्वा(भूगोल में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
5.	कु. अंजना चौहान स्मृति स्वर्ण पदक	बी. कॉम. द्वितीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
6.	कु. रानू उपाध्याय स्मृति स्वर्ण पदक	बी. ए. प्रथम वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
7.	भूतपूर्व प्राचार्य श्रीमती कमला त्रिवेदी स्मृति स्वर्ण पदक	एम. ए. उत्तरा(अंग्रेजी साहित्य में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
8.	जी. सी. मेमोरियल नगद पुरस्कार ₹ 500 सुश्री शोभा मुकर्जी द्वारा प्रदत्त	सर्वोच्च वक्ता को।
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. सी. वर्मा द्वारा प्रदत्त	सर्वोत्तम छात्रा स्वर्ण पदक ।
10.	स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार घोष स्मृति स्वर्ण पदक	स्नातकोत्तर सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
11.	श्रीमती अभया नलिनि घोष स्मृति स्वर्ण पदक	स्नातक सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
12.	डॉ. डी. एस. नाग स्मृति स्वर्ण पदक	एम. ए. अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा ।
13.	श्रीमती ड्डष्णा नाग स्मृति स्वर्ण पदक	एम. ए. हिन्दी में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
14.	डॉ. निर्मला खन्ना स्मृति स्वर्ण पदक	एम. ए. फायनल संगीत में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
15.	डॉ. भास्कर नाथ मिश्र स्मृति स्वर्ण पदक	बी. ए. अंतिम वर्ष प्रा. भा. इतिहास, संस्ड्डति एवं पुरातत्व में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
16.	डॉ. सुमन श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक	स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।
17.	श्रीमती स्नेहलता जैन स्मृति स्वर्ण पदक	एम. ए. इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा ।
18.	श्रीमती निहारिका देवी भट्टाचार्य स्मृति पदक	स्नातक इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को ।

çLrkfor vdknfed dSy.Mj l= % 2017&18

leLr d{kkvksa dh fy, çHkkoh'khy

vdknfed dk;Z	çFke@r`rh;@iape lsesLVj	f}rh;@prqFkZ@"k"Ve lsesLVj
आरंभिक कक्षाएं/शून्य कक्षाएं स्वॉट विश्लेषण	01 जुलाई से 08 जुलाई 2017 (10 कार्य दिवस)	26 दिसंबर 2017 (01 कार्य दिवस)
शैक्षणिक एवं सतत समग्र मूल्यांकन कार्य	10 जुलाई से 02 नवम्बर, 2017 (93 कार्य दिवस)	27 जनवरी से 2017 से 18 अप्रैल 2018 (92 कार्य दिवस)
सी. सी. ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं)	23 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2017 के मध्य	02 अप्रेल से 18 अप्रैल 2018 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	10 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2017 (कुल 07 दिवस)	19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2018 (कुल 03 दिवस)
सेमेस्टर एवं ए.टी.के.टी. परीक्षा	15 नवम्बर से 21 दिसम्बर 2016	28 अप्रैल से 26 मई 2018
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2016 तक	15 जून 2017 तक
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	22 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2016 (10 दिवस)	27 मई से 30 जून 2017 (35 दिवस)
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) शिक्षकों के लिए *	22 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2016 (10 दिवस)*	27 मई से 15 जून 2017 (20 दिवस)*

- छात्रसंघ गठन : अगस्त /सितम्बर 2016
- खेलकूद/युवा उत्सव/अन्य गतिविधियाँ (एक सप्ताह) : माह अक्टूबर, 2016
- दीपावली अवकाश : 28 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2016 तक
- वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन/विमोचन : फरवरी अंतिम सप्ताह/मार्च प्रथम सप्ताह 2017 (अधिकतम 04 दिवस)

Vhi %&

1. अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखंडों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जावें ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सकें।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (2016–17) में उल्लेखित प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जावें।
3. सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) के दिवसों में एनएसएस/एनसीसी के शिविरों के आयोजन को प्राथमिकता प्रदान की जावें ताकि कार्य दिवसों का मानक लक्ष्य यथावत बना रहे। सक्षम अनुमति प्राप्त कर अकादमिक पर्यटन/ टूर/ सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी दौरान आयोजित किये जावें।
4. स्नेह सम्मेलन वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक–पत्रिका का प्रकाशन तथा विमोचन 09 मार्च 2017 के पूर्व कर लिया जावें।

* सेमेस्टर अंतराल में आवश्यकतानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को रोका जा सकेगा।

12

प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर - कार्य दिवसों की गणना सत्र 2016-17

क्रमांक माह दिवस अवकाश दिवस
1 जुलाई 2016 31 05 रविवार $ 1 अवकाश 25
2 अगस्त 2016 31 04 रविवार $ 3 अवकाश 24
3 सितम्बर 2016 30 04 रविवार $ 1 अवकाश 25
4 अक्टूबर 2016 31 05 रविवार $ 5 अवकाश 21
5 नवम्बर 2016 30 04 रविवार $ 2 अवकाश 24
6 दिसंबर 2016 31 04 रविवार $ 2 अवकाश 25
कुल दिवस 184 184-40 144

द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठ सेमेस्टर - कार्य दिवसों की गणना सत्र 2016-17 क्रमांक माह दिवस अवकाश दिवस
1 जनवरी 2017 31 05 रविवार $ 1 अवकाश 25
2 फरवरी 2017 28 04 रविवार $ 2 अवकाश 22
3 मार्च 2017 31 04 रविवार $ 2 अवकाश 25
4 अप्रैल 2017 30 05 रविवार $ 4 अवकाश 21
5 मई 2017 31 04 रविवार $ 1 अवकाश 26
6 जून 2017 30 04 रविवार $ 2 अवकाश 24
कुल दिवस 181 181-38 143

छात्रा सहायता योजनाएँ:
स शिक्षक-अभिभावक योजना: महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं बेहतर शैक्षणिक विकास को
दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक-अभिभावक योजना संचालित है। विद्यार्थी महाविद्यालय में आने वाली अपनी किसी
भी समस्या का निदान शिक्षक-अभिभावक के माध्यम से कर सकते हैं। समय-समय पर बैठक आयोजित कर, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावक को दी जाती है।
स गाँव की बेटी योजना - उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ग्रामीण छात्राओं को
छात्रवृत्ति दी जाती है।
स प्रतिभा किरण योजना - उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार शहरी छात्राओं को
छात्रवृत्ति दी जाती है।
स पीएच.डी. शोधार्थियों को सहायता - अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार शासन
द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है ।
स छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा - महाविद्यालय से 05 कि.मी. की दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं को
अधिकतम दो सौ शैक्षणिक दिवस के लिये आवागमन हेतु रूपये ृ 5 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है।

- **vkokl lc/kh ;ktuk** – यह योजना वर्ष 2013–14 से लागू है । यह योजना केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये है, जिन्हें पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है ।

  ऐसी छात्रायें जिनके अभिभावक/पिता का निजी आवास (मकान) जबलपुर शहर में नहीं है साथ ही जिन्हें शासकीय छात्रावास में रहने हेतु स्थान प्राप्त नहीं हुआ हो, जिससे किराये के मकान में रहते हुए, नियमित अध्ययनरत हो, उनके द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर उन्हें ₹ 2000 प्रतिमाह की दर से शासकीय आवास योजना के तहत यह राशि प्रदान की जाती है ।
- **fodykx 'kk/k Nk=ofÙk** – नियमानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है ।
- **foodkun dfj;j ,o jktxkj ekxn'ku çdk"B %** इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, युवा उद्यमियों के आवश्यक मार्गदर्शन तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।
- **cd cd ;ktuk** : महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाती है।
- **vU; ;ktuk;** : – म.प्र. शासन द्वारा घोषित योजनाएँ लागू होंगी।
- **flVhtu pkVj ,o lpuk dk vf/kdkj** : शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े– बड़े बोर्डों पर जानकारियाँ अंकित कर दी गई है। विद्यार्थी बोर्ड पर उल्लेखित जानकारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, संबंधित सत्य प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- **efgyk mUu;u çdk"B %** महाविद्यालय में महिलाओं के सर्वतोमुखी उन्नति हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- **jefM;y dkfpx** : अ.जा./ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को यू.जी.सी. के निर्देशानुसार रेमेडियल कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है।

16- ljpukRed lfo/kk, %

मॉडल के रूप में संरचनात्मक सुविधाओं के बिन्दु निम्नानुसार है :–

'k{kf.kd ,o ç;kx'kkyk, :

- समस्त कक्ष अध्यापन सुविधायुक्त।
- कक्षों में विद्यार्थी संख्या के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध।
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इंटरनेट सुविधायुक्त, आधुनिक कम्प्यूटर्स।
- अध्यापन किये जाने वाले विषयों की उपकरणों से युक्त सुसज्जित प्रयोगशालाएँ।
- स्मार्ट क्लास रूम द्वारा अध्ययन – अध्यापन की सुविधायें।
- कक्षों में पर्याप्त संख्या में ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन।
- सभागृह।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :

- पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत लायब्रेरी/लायब्रेरी आटोमेशन कार्य प्रगति पर।
- पुस्तकालय का समय प्रतिदिन (कार्यशील दिवस) प्रातः10.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक।
- उपलब्ध अध्ययन सामग्री 50275 से अधिक पाठ्यपुस्तकें 20 जर्नल्स, प्रतियोगी पत्रिकाएँ आदि।
- शोध–छात्रों हेतु संदर्भ कक्ष स्थापित हैं।
- स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये विभागीय पुस्तकालय कुल अध्ययन सामग्री 11452 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिये पृथक से बुक बैंक की सुविधा।
- पिछले पाँच वर्षों के प्रश्नपत्र।
- नेट वर्किंग रिसोर्स सेंटर तथा इंटरनेट सुविधा।
- पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमावली का सूचना बोर्ड पुस्तकालय में लगा दिया गया है।

क्रीड़ा सुविधाएँ :

- खेल मैदान।
- स्पोर्टस–रूम।
- टेबिल टेनिस हॉल।
- जिमनेज़ियम।
- इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की पूर्ण सुविधाएँ।
- जूडो–कराटे प्रशिक्षण प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु उपलब्ध है।

अन्य सुविधाएँ :

- शुद्ध पेयजल हेतु वॉटर कूलर्स।
- साफ एवं स्वच्छ पुरूष प्रसाधन तथा महिला प्रसाधन।
- छात्राओं हेतु कॉमन रूम।
- विकलांग छात्राओं हेतु पृथक प्रसाधन।
- छात्रसंघ कक्ष।
- केंटीन।
- ऑडीटोरियम।
- छात्रावास।
- विकलांग छात्राओं हेतु रैम्प।

17. शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ :

एन.सी.सी.

- कम्पनियाँ 02 (कं. 02A एवं कं. 5A)
- सप्ताह में दो परेड आयोजित की जाती हैं।
- 10–10 दिवसीय शिविर 02 प्रत्येक कैडेट्स को भाग लेना पड़ता है।
- समाज सेवा के अंतर्गत कैडेट्स के लिये विशेष परेड का आयोजन किया जाता है।

एन.एस.एस.

- साप्ताहिक गतिविधियाँ सहित 10 दिवसीय वार्षिक शिविर का आयोजन।
- एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन।
- स्वास्थ्य मित्र योजना।
- एड्स संबंधी जागरूकता में रेड रिबन संस्था में सक्रिय योगदान।

रेडक्रास

- सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक कार्य।

II. **ØhMk xfrfof/k;k¡ %** महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न खेल विधाओं के आयोजन प्रशिक्षण एवं सहभागिता की जाती है।

III. Dyc&vkarfjd x.koÙkk vk'oLr çdks"B d s }kjk l apkfyr Dyc@xfrfof/k;k¡

1- Nk= fe= ;kstuk & संस्था एवं छात्रों की बीच सेतु।

2- gsjhVst Dyc & प्राचीन धरोहरों के प्रति जागरूकता एवं सुरक्षा।

3- lkaLÑfrd Dyc & विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में छात्राओं की अभिरूचि जागृत कर उनकी योग्यताओं को निखारना, अभिवृद्धि करना।

4- cqd jhfMax Dyc & पठन पाठन की अभिरूचि जागृत करना।

5- lkfgfR;d Dyc& साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं सर्जनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना

6- uspj Dyc & प्रकृति से जुड़ाव हेतु जागरूकता उत्पन्न करना वृक्षों का मानव जीवन में उपयोग एवं महत्व प्रतिपादित करना।

7- yksdrkaf=d Hkkouk mnnhiu & महिलाओं में लोकतांत्रिक भावना का विकास समाज के उन्नयन में महिलाओं की भूमिका।

8- l`tukRed Dyc & विद्यार्थियों में छिपी सृजनात्मक अभिरूचि को दिशा प्रदान करने हेतु।

9- laxhr Dyc] 10- 'kks/k] 11- bafXy'k Lihfdax Dyc] 12- LoPNrk Dyc 13- bZ & Dyc

IV. **0;fDrRo fodkl çdks"B %** युवाओं में भारतीयता का भाव जागरण, नैतिक मूल्यों का परिपालन एवं संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण हेतु अनवरत व्याख्यानमालाओं का आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

V. **iwoZ Nk= ifj"kn & ¼,Y;qeukbZ ,lkfl;s'ku½** महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव व ज्ञान का लाभ लेने, महाविद्यालय के विकास हेतु मानवीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद गठित है। परिषद् महाविद्यालयीन भूतपूर्व छात्राओं को संस्था से जोड़कर महाविद्यालयीन विकास के योगदान हेतु अग्रसर है। www.mkbjabalpur.in

l= 2016&17 esa Nk=kvksa l s fy;s tkus okys 'kqYd dk fooj.k
ços'k ,oa ijh{kk 'kqYd & l= 2016&17 ,d n`f"V

ukSV &1. प्रायोगिक विषय लेने वाली छात्राओं को ₹ 130 प्रति विषय प्रति सेमेस्टर अलग से शुल्क देय होगा

2. स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित विषयों का शुल्क अलग से देय होगा।

3. परीक्षा शुल्क प्रत्येक सेमेस्टर हेतु पृथक–पृथक दो बार जमा करने होंगे।

● 'kqYd ,oa 'kqYd lEcU/kh fu;e

1. शुल्क आदि अधिकृत लिपिक के पास निर्धारित तिथि पर जमा करें। 2. जमा की गई राशि के लिये उसी समय रसीद प्राप्त करें। 3. शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क की राशि परिवर्तनीय है। परिवर्तन सम्बन्धी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे। 4. एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा अतः एडमीशन शुल्क जमा करने के पूर्व जानकारी प्राप्त कर ही प्रवेश लें। 5. एक बार प्रविष्ट होने पर काशन मनी पावती की क्रम संख्या उद्घृत करने पर पुनः काशन मनी जमा करना आवश्यक नहीं है। 6. नामांकन शुल्क उन छात्राओं के लिये देय है, जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रवेश चाहती हैं। 7. घोषित दिनांक तक शुल्क न देने की

स्थिति में प्रतिदिन 50 पैसे के हिसाब से निर्धारित अवधि तक दण्ड देना होगा। प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। 8. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्रा द्वारा ही भरा जाना चाहिये। किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही प्राचार्य की पूर्व अनुमति से यह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ही भरा जाना सम्भव होगा।

ços'k 'kqYd l= 2016 & 2017 ¼P. D. 'kqYd½

क्र.		विवरण	B.A./ B.com IstYR. Gen/SC ST/OBC	B.A./ B.com IIndYR. Gen/SC ST/OBC	B.A./ B.com IIIrdYR. Gen/SC ST/OBC	M.A./ M.Com I,II Sem. Gen/SC ST/OBC	M.A. M.Com III,IV Sem. Gen/SC ST/OBC
1.	v'kkldh; ih-Mh-	अवधान राशि (सुरक्षा निधि)	60	–	–	100	–
2.		नामांकन शुल्क	135	–	–	135	–
3.		चिकित्सा शुल्क	10	–	–	10	–
4.		रेडक्रास शुल्क	30	30	30	30	30
5.		निर्धन छात्र कल्याण	30	30	30	30	30
6.		परिचय पत्र	45	45	45	45	45
7.		साईकिल स्टैण्ड	100	100	100	100	100
8.		भवन विस्तार निधि	200	200	200	200	200
9.		महाविद्यालय विकास परिषद शुल्क	10	10	10	10	10
10.		विद्युत शुल्क	110	110	110	110	110
11.		बीमा शुल्क	04	04	04	04	04
12.		काउंसलिंग शुल्क/IQAC	55	55	55	55	55
13.		स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन,	12	12	12	12	12
14.		कम्प्यूटर जागरूकता	50	100	200	50	50
15.		भवन सुरक्षा निधि	110	110	110	110	110
16.		आकस्मिकता निधि	60	60	60	60	60
1.	v'kkldh; ,Q-,-	महाविद्यालय विकास शुल्क	220	220	220	220	220
2.		सम्मिलित निधि	35	35	35	35	35
3.		वार्षिक स्नेह सम्मेलन	55	55	55	55	55
4.		छात्रसंघ एवं युवा क्रियाकलाप	270	270	270	270	270
5.		महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	60	60	60	60	60
6.		छात्र वाचनालय एवं आटोमेशन	140	140	140	140	140
7.		पर्यावरण साफ सफाई	55	55	55	55	55
8.		विभागीय पुस्तकालय	–	–	–	50	50
		;kx	**1856**	**1701**	**1801**	**1946**	**1701**

17

क्र. विवरण ठण्।ण्ध् ठण्।ण्ध् ठण्।ण्ध् डण्।ण्ध् डण्।ण्
ठण्बवउ ठण्बवउ ठण्बवउ डण्ब्वउ डण्ब्वउ
प्ेज ल्त्ण् प्प्दक ल्त्ण् प्प्प्तक ल्त्ण् प्एप्प् ैमउण् प्प्प्एप्ट ैमउण्.

1. विश्वविद्यालय संबद्धता शुल्क 275 275 275 275 275
2. विश्वविद्यालय उन्नयन शुल्क 148 148 148 148 148
3. वि.वि.छात्रा परिषद एवं सांस्कृतिक शुल्क275 275 275 275 275
4. शारीरिक कल्याण शुल्क 410 410 410 410 410

योग 1108 1108 1108 1108 1108
1 स्वशासी शुल्क 55 55 55 55 55
2. स्वशासी परीक्षा पंजीयन शुल्क 50 50 50 50 50
3. पाठ्यक्रम वितरण शुल्क 25 25 25 25 25
4. स्वशासी अंकसूची शुल्क 100 100 100 100 100
5. कर्मचारियो के लिए प्रोत्साहन शुल्क 30 30 30 30 30
योग 260 260 260 260 260
1. शिक्षण शुल्क 0 0 0 0 0
2. प्रायोगिक शुल्क 0 0 0 0 0
3. प्रवेश शुल्क, लेखन सामग्री शुल्क 6 6 6 6 6
4. जन भागीदारी शुल्क 300 300 300 300 300

योग 306 306 306 306 306

कुल योग 3530 3375 3475 3620 3375

अतिरिक्त शुल्क

1.एम.ए./ एम. कॉम. प्रथम कक्षा की नवीन छात्राओं से सुरक्षा निधि (अवधान राशि) - 100
2.एम.ए./ एम. कॉम. प्रथम कक्षा की नवीन छात्राओं से नामांकन शुल्क - 121
3. प्रत्येक प्रेक्टीकल प्रति विषय हेतु - 130
4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम विज्ञापन, प्र. मू. हिंदी आदि - 1000
5. कम्प्यूटर एप्लीकेशन/पी. जी. डिप्लोमा/कम्प्यूटर सांइस - 5000
6. इमीग्रेशन म.प्र. के बाहर की छात्रा - 200

7. छात्रावास शुल्क शासकीय - 24 विश्वविद्यालय शुल्क स्वशासी शुल्क शासकीय जनभागीदारी शुल्क

Gen/SC
ST/OBC

Gen/SC
ST/OBC

Gen/SC
ST/OBC

Gen/SC
ST/OBC

Gen/SC
ST/OBC

Lo'kklh ijh{kk

1. स्वशासी परीक्षा शुल्क (प्रत्येक सेमेस्टर) स्नातक — 900.00
2. स्वशासी परीक्षा शुल्क (प्रत्येक सेमेस्टर) स्नातकोत्तर — 950.00
3. स्वशासी अंकसूची शुल्क (प्रत्येक सेमेस्टर) — 50.00
4. स्वशासी परीक्षा आवेदन शुल्क (प्रत्येक सेमेस्टर) — 30.00
5. पुर्नगणना प्रति प्रश्नपत्र (प्रत्येक सेमेस्टर) — 50.00
6. विवाहोपरांत सरनेम परिवर्तन शुल्क — 100.00
7. पूरक/ए.टी.के.टी. परीक्षा शुल्क — 300.00
8. पूरक/ए.टी.के.टी. परीक्षा आवेदन फार्म शुल्क — 30.00
9. डिग्री शुल्क, स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष हेतु — 500.00
10. प्रावधिक प्रमाण पत्र शुल्क (प्रोवीजनल) — 50.00
11. डुप्लीकेट अंकसूची शुल्क (प्रत्येक सेमेस्टर) — 500.00
12. अन्य किसी प्रकार का प्रमाण शुल्क — 50.00

ukV&

1. विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. शासन एवं स्थानीय वित्त समिति द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शुल्क में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, प्रावधान किए जा सकते हैं।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्राओं के पालक/ पारिवारिक समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हैं उन्हें काशनमनी एवं बीमा शुल्क को छोड़कर प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना है, 2.50 लाख से 3.00 लाख तक जिनके पालक/पारिवारिक आय है उन्हें आधी प्रवेश शुल्क जमा करना है तथा 3.00 लाख से अधिक जिनकी वार्षिक आय है उन्हें पूर्ण प्रवेश शुल्क जमा करना है ।
4. महाविद्यालयीन परीक्षा के पूर्व परीक्षा शुल्क के साथ – साथ प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है , प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर परीक्षा फार्म भरने व परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है ।

vk/kh 'kqYd l= 2016 & 2017 ¼P. D. 'kqYd½

विवरण	B.A./ B.com	B.A./ B.com	B.A./ B.com	M.A./ M.Com	M.A. M.Com
Y t Ys	I d .n M	Id r I. I RI	. R	I,II Sem.	III,IV Sem.
ih- Mh- 'kqYd	**760**	**664**	**714**	**664**	**624**
,-,Q- 'kqYd	**497**	**497**	**497**	**505**	**505**
ØhMk 'kqYd	**182**	**182**	**182**	**182**	**182**
dqy ;kx	**1439**	**1343**	**1393**	**1351**	**1311**

महाविद्यालय परिवार : एक परिचय

शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
दूरभाष क्र. 2401300 (का.), ई-मेल : hegmkbaaccjab@mp.gov.in फैक्स : 0761-4003296
प्राचार्य : डॉ. उषा दुबे, फोन नंबर : 0761-2677186, 0761-4045925

हिन्दी विभाग
1. डॉ. अरुण कुमार मिश्र - प्राध्यापक
2. डॉ. बी.एम. तिवारी - प्राध्यापक
3. डॉ. नीना उपाध्याय - प्राध्यापक
4. डॉ. प्रज्ञा अनुरागी - सहा. प्राध्यापक
5. डॉ. स्मृति शुक्ल - सहा. प्राध्यापक
6. डॉ. सुनील कुमार दुबे - सहा. प्राध्यापक
7. श्री इंद्रसिंह वरकड़े - सहा. प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग
1. डॉ. रूबीना बैनर्जी - प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. पूर्णिमा सेन - प्राध्यापक
3. डॉ. टी.आर. नायडू - सहा. प्राध्यापक
4. श्रीमती मधुबाला शर्मा - सहा. प्राध्यापक
5. डॉ. अर्चना सिंह चौहान - सहा. प्राध्यापक
6. डॉ. रोजी मिश्रा- सहा. प्राध्यापक
7. डॉ. उषा कैली- सहा. प्राध्यापक

संस्कृत विभाग
1. श्री बी.एल. आर्मो -सहा. प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष

उर्दू विभाग
1. डॉ. एम.ए. आरिफ -सहा. प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष

भूगोल विभाग
1. डॉ. ब्रम्हानंद त्रिपाठी - प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. रिक्त पद - प्राध्यापक
3. श्री राजेश श्यामकुँवर - सहा. प्राध्यापक

संगीत विभाग
1. डॉ. सुप्रिया बोस - प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. राजीव जैन - प्राध्यापक
3. डॉ. मीरा काले - प्राध्यापक
4. डॉ. पृथा बनर्जी - सहा. प्राध्यापक
5. डॉ. अखिलेश सप्रे - सहा. प्राध्यापक

दर्शन शास्त्र विभाग
1. अतिथि विद्वान

चित्रकला विभाग
1. डॉ. किरण शुक्ला - सहा. प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. सुनीति सेन - सहा. प्राध्यापक
3. डॉ. अरुणा - सहा. प्राध्यापक
4. डॉ. रागिनी उपाध्याय - सहा. प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग
1. डॉ. सुनीता मिश्रा - प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. सुलेखा मिश्रा - प्राध्यापक
3. डॉ. दीपक श्रीवास्तव - प्राध्यापक
4. डॉ. सीमा भार्गव - सहा. प्राध्यापक
5. डॉ. संध्या पांडे (चौबे) - सहा. प्राध्यापक
6. डॉ. संध्या पचौरी - सहा. प्राध्यापक
7. डॉ. वरूणराव बंसोड़कर - सहा. प्राध्यापक

मनोविज्ञान विभाग
1. डॉ. सुधा मेहता - प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. रिक्त पद - प्राध्यापक
3. डॉ. कामना श्रीवास्तव - प्राध्यापक
4. डॉ. मुक्ता ब्यौहार - प्राध्यापक
5. डॉ. तन्द्रा दत्ता - प्राध्यापक
6. डॉ. शांता राव - प्राध्यापक
7. सुश्री विनीता महोबिया - सहा. प्राध्यापक

इतिहास विभाग
1. रिक्त पद - प्राध्यापक
2. रिक्त पद - प्राध्यापक
3. रिक्त पद - प्राध्यापक
4. डॉ. शोभना पांडे - सहा. प्राध्यापक

5. डॉ. अर्चना देवलिया – सहा. प्राध्यापक
6. डॉ. शिवनारायण परते – सहा. प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ. रश्मि चौबे – विभागाध्यक्ष
2. डॉ. संजय कांत खरे – प्राध्यापक
3. डॉ. इना गरे – प्राध्यापक
4. डॉ. जे.के. गुजराल – प्राध्यापक
5. डॉ. शीला चौबे – सहा. प्राध्यापक
6. डॉ. प्रीति झारिया – सहा. प्राध्यापक

समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ. शिखा गुप्ता – प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. मीनू मिश्रा – प्राध्यापक
3. डॉ. लता शर्मा – प्राध्यापक
4. डॉ. नंदिता त्रिवेदी – प्राध्यापक

गृह विज्ञान विभाग

1. डॉ. आशा पान्डे – प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. ममता शर्मा – प्राध्यापक
3. डॉ. कल्पना गुप्ता – सहा. प्राध्यापक
4. डॉ. अंजना धुर्वे – सहा. प्राध्यापक

वाणिज्य विभाग

1. डॉ. नंदिनी भारिल्ल – प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष
2. डॉ. उज्जवला खारपाटे – सहा. प्राध्यापक
3. डॉ. श्रीमती सुषमा मेहरा – सहा. प्राध्यापक
4. डॉ. श्रीमती विजया कोष्टा – सहा. प्राध्यापक
5. डॉ. सपना चावला – सहा. प्राध्यापक
6. डॉ. नुपूर निखिल देशकर – सहा. प्राध्यापक

ग्रंथालय

1. सुश्री रजनी शर्मा – ग्रंथपाल

कार्यालयीन कर्मचारी

1.	रिक्त पद	सहायक ग्रेड -1
2.	रिक्त पद	लेखापाल
3.	श्री बी.एस. चौबे	सहायक ग्रेड-2
4.	श्री जे.पी. गुप्ता	सहायक ग्रेड-2
5.	श्री पदमनाथ पिल्लई	सहायक ग्रेड-3
6.	श्री मनोज कुमार गौतम	सहायक ग्रेड-3
7.	श्री राम शेखर मिश्रा	सहायक ग्रेड-3
8.	श्री अशोक कुमार गहोरिया	सहायक ग्रेड-3
9.	श्रीमती प्रसन्ना खलको	प्रयोगशाला तकनीशियन
10.	कु. रचना ठाकुर	प्रयोगशाला तकनीशियन
11.	श्रीमती सविता दासगुप्ता	अनुदेशक
12.	डॉ. चंचल आचार्य	अनुदेशक
13.	रिक्त पद	अनुदेशक
14.	रिक्त पद	तबला संगतकार
15.	रिक्त पद	तबला संगतकार
16.	श्री सुदामा प्रसाद नामदेव	संगीत सहायक

1.	श्री अशोक शर्मा	प्रयोगशाला परिचारक
2.	श्री आर.के. तिवारी	प्रयोगशाल परिचारक
3.	श्रीमती दुर्गा सेन	प्रयोगशाला परिचारक
4.	डॉ. अंजना झारिया	प्रयोगशाला परिचारक
5.	रिक्त पद	प्रयोगशाला परिचारक
6.	रिक्त पद	प्रयोगशाला परिचारक
7.	श्री सुरेश व्यास	भृत्य
8.	श्री जितेन्द्र शर्मा	भृत्य
9.	श्री राजकुमार खटीक	भृत्य
10.	रिक्त पद	फर्राश
11.	रिक्त पद	चौकीदार
12.	श्री सरजू	माली
13.	श्रीमती ताराबाई	स्वीपर
14.	श्री तेजराम कोरी	फर्राश
15.	श्री वीरसिंह	पंप अटेंडेंट